न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 80 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

श्री मूर्ति ठाकुर जी तेजानन्द बिहारी जी स्थान सलुम्बर व्यवस्थापक वाद मित्र श्री सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गायत्री सिंह पत्नी स्व. रावत निर्भयसिंह जी कृष्णावत चुण्डावत, निवासी सलुम्बर हाउस, 145, सहेली मार्ग, हनुमान मन्दिर के पास, उदयपुर
2. देवव्रत सिंह पुत्र स्व. श्री रावत निर्भयसिंह जी कृष्णावत चुण्डावत, निवासी सलुम्बर हाउस, 145, सहेली मार्ग, हनुमान मन्दिर के पास, उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

2. प्रकरण संख्या 81 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

श्री मूर्ति ठाकुर जी तेजानन्द बिहारी जी स्थान सलुम्बर व्यवस्थापक वाद मित्र श्री सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गायत्री सिंह पत्नी स्व. रावत निर्भयसिंह जी कृष्णावत चुण्डावत, निवासी सलुम्बर हाउस, 145, सहेली मार्ग, हनुमान मन्दिर के पास, उदयपुर
2. देवव्रत सिंह पुत्र स्व. श्री रावत निर्भयसिंह जी कृष्णावत चुण्डावत, निवासी सलुम्बर हाउस, 145, सहेली मार्ग, हनुमान मन्दिर के पास, उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर दिनांक
30–03–2022 प्रकरण सं. 205 / 07

———::———

उपस्थित :– 1– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजय बोहरा अ[illegible] रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 10—10—2023</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद संख्या 72/2010 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बस्सी, तहसील सलुम्बर में साबिक आराजी नंबर 495, 497, 511 से 517, 520 से 538, 556/3, 494/1 व 494/2 कुल किता 24 रकबा 47 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में ठाकुर जी तेजानन्द बिहारी जी के नाम पर दर्ज है एवं मंदिर ठाकुर जी श्री तेजानन्द जी सलुम्बर उक्त जमीन माजी सा. श्री आनन्द कुंवर जगमालोत ठि. सलुम्बर के द्वारा यह भूमि मन्दिर की सेवा पूजा राज भोग इत्यादि खर्चे के लिए ट्रस्ट कायम कर मन्दिर के भेट दिनांक 08—12—1953 को कर दी, जिसका एक रजिस्टर्ड दस्तावेज निष्पादित किया गया, तक से यह भूमि मंदिर श्री तेजानन्द बिहारी के नाम दर्ज होकर आज तक ठाकुर जी के खाते में चली आ रही है। राज्य सरकार ने इस मन्दिर को आदेश दिनांक 18—06—1979 से राजकीय आत्म निर्भर मन्दिरों की सूची में शामिल कर इस मन्दिर व जायदाद की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने आयुक्त देवस्थान विभाग को आदेश दिये, जिसकी पालना की मंदिर व जायदाद की देखभाल देवस्थान के अधिकारी करते चले आ रहे हैं। इस जमीन बाबत् पूर्व में दिनांक 08—06—1981 को आप न्यायालय से फैसला होकर मंदिर की भूमि कुर्की में ली गयी थी उसे रिसीसरी से बागुजास्था किया गया। इस आदेश की पालना में तहसीलदार सलुम्बर द्वारा दिनांक 03—07—1981 को कब्जा देवस्थान विभाग को सिपुर्द किया गया, तब से देवस्थान विभाग का कब्जा चला आ रहा है तथा इससे पूर्व रिसीवरी की जो रकम थी वह देवस्थान विभाग ने चुकायी। वादकरण दिनांक 25—07—1990 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि में रूकावट पैदा की। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षीगण ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा कथन किया वादग्रस्त आराजियात खुमाणसिंह के उत्तराधिकारी (प्रपौत्र) श्री निर्भयसिंह के खातेदारी में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात तेजानन्द जी के साथ साथ मुझ प्रतिवादी संख्या 1 निर्भयसिंह के खाते बहैसियत उत्तराधिकार से दर्ज है तथा कब्जा भी प्रतिवादी संख्या 1 का चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात दिनांक 05—[illegible]—1989 को प्रतिवादी संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

खाते दर्ज की जा चुकी है, परन्तु उसका कब्जा पूर्व से ही चला आ रहा है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 205/2007 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बस्सी, तहसील सलुम्बर में साबिक आराजी नंबर 495, 497, 511 से 518, 520 से 538, 556/3, 494/1 व 494/2 कुल किता 25 रकबा 50 बीघा भूमि स्थित है, जो वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उक्त भूमि में से आराजी नंबर 518 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्वर्गीय भेरा पिता जीवा मीणा के शिकमी थी इसलिए उसके वारिसों के खाते शिकमी राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है एवं इंतकाल संख्या 1583 से उदा पिता भेरा मीणा के खाते दर्ज की गयी। इसलिए अब वादग्रस्त आराजियात कुल किता 24 रकबा 47 बीघा 5 बिस्वा भूमि है। उक्त आराजियात संवत् 2018 से 2033 तक की जमाबन्दी में जगमालोत जी के नाम से चली आ रही थी एवं संवत् 2034 से 2037 में जगमालोत जी के बजाय विरासत से इन्तकाल नंबर 1590 से रावत खुमाणसिंह मुतबना अनाडसिंह के नाम दर्ज हुई तथा खुमाणसिंह की मृत्यु के बाद इंतकाल संख्या 1856 से विरासत से खुमाणसिंह के प्रपौत्र निर्भयसिंह पुत्र पुष्पेन्द्रसिंह के खाते आयी एवं निर्भयसिंह के निधन के बाद वादीगण के खाते आयी। दुबारा पैमाइश के बाद वादग्रस्त भूमि के बने हाल नंबर 3418 से 3427, 3429, 3431 से 3441, 3443, 3469 से 3471, 3474 किता 27 रकबा 10.21 हैक्टर भूमि कभी भी प्रतिवादी देवमूति श्री तेजानन्द बिहारी के नाम दर्ज नहीं रहीं, न ही कभी लगान जमा कराया। आनन्दकुंवर बेवा तेजसिंह जी कृष्णावत चुण्डावत सलुम्बर के रावत एवं जागीदार खुमाणसिंह की सगी भाभी जी के खुद काश्त की जमीन थी, परन्तु जागीर प्रथा में किसी महिला को उनके नाम से संबंधित नहीं कर जिस खानदान की बेटी होती उसी के गौत्र से राजपरिवार एवं जनता उसी के नाम से जानती थी, इसलिए माजी सा. जगमातोल जी के पीयर ठिकाना मसुदा का गौत्र जगमालोत था, के नाम से जाने जाते थे एवं गजमालोत विधवा हो जाने से अपनी निजी आय से तेजानन्द बिहारी का एक मंदिर सलुम्बर राजमहलों से सटमा दक्षिण दिशा में सेरिंग तालाब की पाल के पास बनवाया जिसके बाद पूरी जिन्दगी राजमहल छोड़कर उसी मन्दिर में भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। पूर्व पैमाईश संवत् 1995 के आस–पास हुई उस समय मांजी सा जगमालोत जी सलुम्बर के नाम जागीरदार खुमाणसिंह जी ने [illegible]का[illegible] के लिए भाट फार्म में 50 बीघा वादग्रस्त भूमि मांजी सा [illegible] बतौर ज[illegible] जागीर दे दी एवं पूर्व पैमाईश में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

जगमालोत जी का निवास स्थान तेजानन्द बिहारी स्थान सलुम्बर था इसलिए सेटलमेन्ट विभाग ने निवास स्थान में तेजानन्द बिहारी स्थान सलुम्बर लिखा, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी देवस्थान विभाग ने अकेले अपनी खातेदारी की मानकर गैर कानूनी तौर पर वाद प्रस्तुत किया जो कई बार खारिज हुआ व नंबर पर आया जो वर्तमान में वाद संख्या 8/2004 राजस्व वाद है। उपखण्ड अधिकारी ने अभी हाल ही में धारा 212 रा. का. अ. में दिनांक 29–11–2006 को वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर मुर्करर करने का आदेश दे दिया, जो त्रुटि पूर्ण है, जिसकी आड़ में वादीगण को कभी भी बेदखल कर सकते हैं। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त कुल खेत 24 रकबा 47 बीघा 5 बिस्वा, जिसके हाल किता 27 रकबा 10.21 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकरद राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम के नीचे अंकित तेजानन्द बिहार स्थान सलुम्बर का नाम हटाया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों वादों को समेकित कर प्रकरण में कुल 11 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30–03–2022 से वाद संख्या 72/2010 साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया एवं वाद संख्या 205/2007 स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया तथा तहसीलदार सलुम्बर को आदेश दिया कि वादग्रस्त भूमि रिसीवर मुक्त कर रिसीवरी की जमा राशि व कब्जा जमाबन्दी में दर्ज वर्तमान खातेदार काश्तकारों को सिपुर्द करें।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 30–03–2022 से रूष्ट होकर अपीलान्ट मूर्ति ठाकुर जी द्वारा अपील संख्या 80/2022 व 81/2022 दिनांक 02–11–2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर उनके अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने से तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक [illegible]बंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

दोनों ही अपीलों में अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी कर गलत निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय के बाद उच्चाधिकारियों से राय लेने में समय लगा, जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः न्यायहित में दोनों अपीलों में विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपीलें प्रस्तुत किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी का विवादित आराजियात से दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है। उच्चाधिकारियों से राय लेने में हुई देरी विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, जैसाकि आर.आर.डी. 1995 पेज 64 पर माननीय उच्च न्यायालय ने तया किया है। अपील जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1331 (S.C.), आर.बी.जे. (17) 2010 पेज 289 (H.C.), आर.बी.जे. (21) 2014 पेज 623 (H.C.), डी.एन.जे. 2014 (3) पेज 1132 (H.C.), आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 887 (S.C.) प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। दिनांक 30–03–2022 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपीलें दिनांक 02–11–2022 को प्रस्तुत की गयी हैं, जो करीब 5 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए कारण सिर्फ यह बताया कि उच्चाधिकारियों से चर्चा एवं राय लेने में विलम्ब हुआ है, जो अपील कण्डोन हेतु पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं है। जैसाकि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अवलोकन से स्पष्ट है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि तनकी नंबर 1 अपीलान्ट द्वारा पूर्ण रूप से साबित कराने के बावजूद उक्त तनकी अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। राज्य सरकार ने इस मंदिर को आदेश दिनांक 25–06–1981 से राजकीय आत्म निर्भर मंदिरों की सूची में शामिल कर इस मंदिर व इसकी जायदाद की व्यवस्था के लिए आयुक्त देवस्थान को आदेश दिये थे, जिसकी पालना में मंदिर व उसकी जायदाद की देखरेख देवस्थान विभाग के अधिकारी करते चले आ रहे हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जमाबन्दी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट संवत् 1995 [illegible] मालिक हासिल में उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

माजीसाहब श्री जगमालोत जी ठिकाना सलुम्बर जागीर श्री तेजानन्द बिहारी जी सलुम्बर माफीदार अंकित है एवं इसी जमाबन्दी के कॉलम संख्या 3 में खातेदार के नाम में उक्त भूमि खुदकाश्त के रूप में दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त भूमि होकर रेस्पोन्डेन्ट का कोई सरोकार नहीं है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी कर निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट मन्दिर मूर्ति नाबालिग की श्रेणी में आती है जिसके हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की आड़ में रेस्पोन्डेन्ट जमीन को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 72/2010 में चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 नाथूलाल की मृत्यु करीब 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है, फिर भी उसे मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ अपील प्रस्तुत कर दी है, जो इसी आधार पर मेन्टनेबल नहीं है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावें तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2022 यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रदर्श ए–1 में विवादित साबिक आराजियात माजी साहब श्री जगमालोत जी ठिकाना सलुम्बर जा. श्री तेजानन्द बिहारी जी स्थान सलुम्बर मा. दर्ज है तथा हाल जमाबन्दी में प्रदर्श ए–3 में कुल किता 27 रकबा 10.21 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 व 1/2 के नाम दर्ज होकर नीचे तेजानन्द बिहारी स्थान सलुम्बर दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में कहीं भी मूर्ति खातेदार अंकित नहीं है तथा उक्त भूमि माजी साहब श्री जगमालोत जी ठिकाना सलुम्बर द्वारा मूर्ति को दान की गयी हो, इस सम्बन्ध में भी अपीलान्ट द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलान्ट कभी भी विवादित भूमि के खातेदार रहे हों या उनका कब्जा हो इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट के खातेदारी में बाप–दादाओं के समय से दर्ज होकर वर्तमान में भी रेस्पोन्डेन्ट खातेदार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने [illegible] में कुल 11 तनकियां कायम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

एवं सभी तनकियों पर अपना विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 72/2010 खारिज किया तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 205/2007 स्वीकार कर वादी/अपीलान्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्री मूर्ति ठाकुर जी तेजानन्द बिहारी जी स्थान सलुम्बर व्यवस्थापक वादमित्र श्री सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

बनाम

श्रीमती गायत्रीसिंह पत्नी स्व. निर्भयसिंह जी कृष्णावत चुण्डावत, नि0 सलुम्बर हाउस, 145, सहेली मार्ग, हनुमान मंदिर के पास, उदयपुर व अन्य

अपील नं.....80/2022........व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी** ....
...........**सलुम्बर**.......... मुकाम................मुवर्खे.........30............माह...............03...............2022...................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........10..........माह..........10.......सन् 2023 रूबरू............**पक्षकारान** व हाजरी..........**श्री कमलेश चौहान**......ख़.मिनजानिब अपीलान्ट व............**श्री संजय बोहरा**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........**X**............).......रूपये .... **X**....... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............10.......माह............10..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्री मूर्ति ठाकुर जी तेजानन्द बिहारी जी स्थान सलुम्बर व्यवस्थापक वादमित्र श्री सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर	बनाम	श्रीमती गायत्रीसिंह पत्नी स्व. निर्भयसिंह जी कृष्णावत चुण्डावत, नि0 सलुम्बर हाउस, 145, सहेली मार्ग, हनुमान मंदिर के पास, उदयपुर व अन्य

अपील नं......81/2022.........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........सलुम्बर.......... मुकाम................मुवर्खे.........30............माह...............03...............2022...................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........10..........माह..........10.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान
व हाजरी..........श्री कमलेश चौहान......ख्.मिनजानिब अपीलान्ट व............श्री संजय बोहरा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............).......रूपये .... X.......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............10.......माह............10..............2023
को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested